न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 445 सन 2018
अनवान :–

1. सुनीता पत्नी देवीलाल जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. जगदीश पुत्र लादुराम उर्फ लाधुराम जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
2 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

3 हरदत पुत्र लादुराम उर्फ लाधुराम जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर
4 मुकेश कुमार पुत्र हरदत पुत्र लादुराम उर्फ लाधुराम जाति जाट निवासी भावलेदसर तहसील नोहर
5 देवीलाल पुत्र लाधुराम उर्फ लाधुराम जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर

तरतीबी प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 26.10.18

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मोजा भावलदेसर के खाता संख्या 31/53 की कुल 15.7619हैक भूमि सयुक्त खाते में प्रतिवादी संख्या 1 जगदीश के नाम से 1/2 हिस्सा दर्ज हे जो पूर्व में वादी के दादा लादुराम उर्फ लाधुराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 जगदीश के नाम से दर्ज हुई है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,3 ता 5 एक ही परिवार के सदस्य है प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 के भरण पोषण हेतु परिवारीक समझोता में रोही मौजा भावलेदसर के खाता संख्या 31/53 की कुल 15.7619हैक भूमि में से अपने नाम से दर्ज 1/2 हिस्सा भूमि में से वादीया को 1.5624हैक व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 को 0.441हैक , तरतीबी प्रतिवादी संख्या 4 के नाम 0.5544हैक भूमि दी गई जो वे काश्त करते आ रहे है किन्तु परिवारिक समझौता के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है जिसे दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 3 ता 5 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की रोही मौजा भावलेदसर के खाता संख्या 31/53 की कुल 15.7619हैक भूमि में से अपने नाम से दर्ज 1/2 हिस्सा भूमि में से वादीया को 1.5624हैक व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 को 0.441हैक , तरतीबी प्रतिवादी संख्या 4 के नाम 0.5544हैक भूमि दी गई जो वे काश्त करते आ रहे है

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन राजीनामा पेश किया गया है जो शामिल मिसल किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है वादी का कथन है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,3 ता 5 एक ही परिवार के सदस्य है प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 को उनके भरण पोषण के लिये अपने हक हिस्सा की भूमि रोही मौजा भावलेदसर के खाता संख्या 31/53 की कुल 15.7619हैक भूमि में से अपने नाम से दर्ज 1/2 हिस्सा भूमि में से वादीया को 1.5624हैक व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 को 0.441हैक , तरतीबी प्रतिवादी संख्या 4 के नाम 0.5544हैक भूमि दी गई जिसे अपने नाम से दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की परिवारिक समझौता में दी गई भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है जिसके सम्बध में परिवारिक समझौता व राजीनामा पेश किया जा चुका है। इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 3 ता 5 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मोजा भावलदेसर के खाता संख्या 31/53 की कुल 15.7619हैक भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा भूमि में से वादिया 1.5624हैक व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 के नाम 0.441हैक तरतीबी प्रतिवादी संख्या 4 के नाम 0.5544हैक भूमि के खातेदार काश्तकार है यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाबता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 26-10-18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

Web Copy - Not Official

Sdaidi

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)